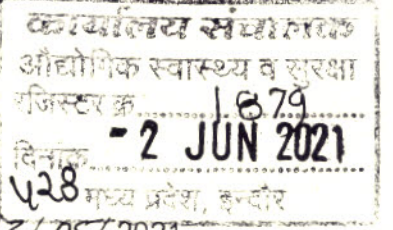
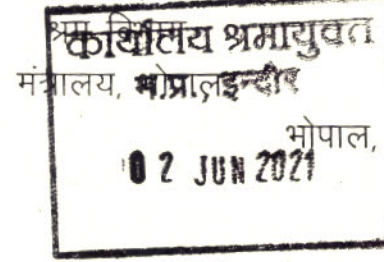


मध्यप्रदेश शासन



क्रमांक — /198/2021/बी-16
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय: Regarding Covid -19 safe workplace guideline for industry & establishment.

संदर्भ— D.O. No ESIC/D-31/12/02/2019-PR DATE 13-10-2020. , स्वास्थ्य संचालनालय का पत्र क्रमांक आई.डी.एस.पी./2020/1912 भोपाल, दिनांक 16-11-2020 एवं म.प्र. शासन, गृह विभाग का पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2, भोपाल दिनांक 12.04.2021।

कृपया ESIC के संदर्भित पत्र एवं उसके अनुक्रम में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से जारी संदर्भित पत्र दिनांक 16.11.2020 एवं गृह विभाग के पत्र दिनांक 12.04.2021 (प्रतियाँ संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की महामारी को दृष्टिगत रखते हुये कर्मचारियों, श्रमिकों तथा सामाजिक सुरक्षा संगठनों के लिये दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं। उक्त दिशा निर्देश, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाये तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से तैयार किये गये हैं और संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश द्वारा उसी के अनुक्रम में दिनांक 16.11.2020 को निर्देश जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश में गृह विभाग के आदेश दिनांक 12.04.2021 के परिप्रेक्ष्य में इन दिशा-निर्देशों का उद्योग एवं प्रतिष्ठानों द्वारा प्रभावी अनुपालन कराया जाना आवश्यक होने से उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों/इकाइयों तथा जिला प्रशासन द्वारा आपसी सहयोग से औद्योगिक इकाइयों के साथ मिलकर उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं अन्तर्ग कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार व्यवस्थाएं और की जा सकती हैं—

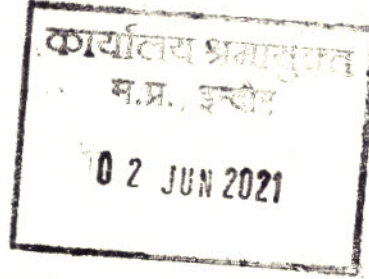
1. औद्योगिक इकाइयों के पास उपलब्ध भवनों को कोविड केयर केन्द्रों एवं आईसोलेशन कक्षों के रूप में परिवर्तित कर उपयोग किया जा सकता है।
2. औद्योगिक इकाइयों जिला प्रशासन के सहयोग से अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्वास्थ्य की जांच एवं उनके अस्वस्थ होने पर इलाज की व्यवस्थाएं करा सकती हैं।
3. औद्योगिक इकाइयों अपने कर्मचारियों जो कि 18 प्लस एज ग्रुप के हैं उनके टीकाकरण की व्यवस्थाएं अपने स्तर पर कर सकती हैं।
4. औद्योगिक इकाइयों जिला प्रशासन के साथ मिलकर श्रमिकों के पात्रतानुसार आयुष्मान कार्ड बनवाने एवं श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं करा सकती हैं।

2/6/2021

5. औद्योगिक क्षेत्रों में कोविड के प्रकरण पाए जाने पर संबंधित क्षेत्रों में माइको कान्टाइनमेंट क्षेत्र भी बनाये जा सकते हैं, जिससे संक्रमण इन क्षेत्रों/मोहल्लों/कॉलोनियों इत्यादि में न पहुँचे।

इसके अतिरिक्त ESIC के संदर्भित दिशा निर्देशों एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी 16.11.2020 के दिशा निर्देशों, गृह विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार औद्योगिक ईकायों एवं प्रतिष्ठानों में कोविड-19 की रोकथाम संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाहियों का पूर्ण सतर्कता तथा सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।



(सचिन सिन्हा)
प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन, श्रम विभाग

कमाक — /199/2021/बी-16
प्रतिलिपि—

भोपाल, दिनांक 13/05/2021

- 1 अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2 अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 3 ☒ श्रमायुक्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
- 4 समस्त आयुक्त, राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
- 5 संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवाये इन्दौर।
- 6 संचालक, स्वास्थ्य एवं औद्योगिक सुरक्षा, इन्दौर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सचिन सिन्हा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, श्रम विभाग

02 JUN 2021

अ.प्र.स.
111
2



ANURADHA PRASAD, IDAS
DIRECTOR GENERAL

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. ROAD, NEW DELHI-110002
Tel : 23235391, 23232708, Fax : 23237136
Email : dir-gen@esic.nic.in

D.O. No. ESIC/D-31/12/02/2019-PR

Dated: 13/10/2020

Madam/Sir,

The Employees' State Insurance Corporation (ESIC), a statutory Social Security organization for workers, under the Ministry of Labour & Employment, has formulated "COVID-19 SAFE WORKPLCE GUIDELINES FOR INDUSTRY & ESTABLISHMENT". The Guidelines have been prepared in consultation with DGHS, Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) and were jointly released by the Hon'ble Union Health Minister and Hon'ble MoS (IC) L&E, on 29.09.2020 in the august presence of Dr. V.K.Paul, Member, NITI Aayog, through Video Conference.

A copy of the Guidelines in Hindi and English each, are attached. The Guidelines are also available on ESIC website <https://www.esic.nic.in>. Translation in major regional languages is also being undertaken.

The Guidelines cover, inter alia, risk assessment, symptoms of Covid-19, basic control measures, preventive measures for workplace environment, administrative guidelines, workplace social distancing & hygiene guidelines, travel & transportation guidelines, action points for risk mitigation, management of sickness at the workplace, action points for employers & workers and contingency plan.

At a time when the entire country is fighting the menace of COVID-19, awareness and control measures at workplaces are among the crucial steps to contain the spread of the pandemic while ensuring continued economic activities.

I would therefore, request you to kindly circulate the COVID-19 Safe Workplace Guidelines to all the concerned including the Industries, shops & establishments, so that they can make the best use of this resource and the spread of COVID-19 is prevented while maintaining continuity of business activities.

With regards,

Yours sincerely,

H.C

(Anuradha Prasad)

AX (IDSP)

To

All the Principle Secretaries (Health) to State Governments/U.Ts

DD
IDSP

9/11/2020

5/11/20

673/2020/5/11/20

03/11/2020
04/11/2020